न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—जीसीएमएस नम्बर 2021/122

1. दीपक शर्मा,
2. योगेश शर्मा पुत्रान श्री रामबाबू शर्मा, जाति ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम फूटोलाव, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री प्रहलाद पुत्र श्री रामेश्वर शर्मा, जाति ब्राहाम्ण, निवासी शिव मंदिर के पास, तूंगा रोड़, कस्बा बस्सी, तहसील बस्सी जिला जयपुर।
2. श्री मदनलाल पुत्र श्री गोपाल जाट, जाति जाट, निवासी जाटों की ढाणी, पालावाला जाटान, कस्बा बस्सी, तहसील बस्सी जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पावटा तहसील पावटा जिला जयपुर।
4. श्री कालू,
5. श्री शंकर,
6. श्री महेन्द्र,
7. श्री सुनील,
8. श्री सीताराम पुत्रान श्री कजोड़ नाई जाति नाई निवासी ग्राम फूटोलाव, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

——प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 15.09.2021

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर के आदेश दिनांक 15.04.2021 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम फुटोलाव तहसील जमवारामगढ स्थित भूमि साबिका खसरा नम्बर 121 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा अपीलार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 8 की पैतृक खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि थी, तहसील जहमवारमागढ में हुए वर्तमान सेटलमेन्ट के दौरान उक्त भूमि का नवीन खसरानरम्बर 226 तथा क्षेत्रफल 0.27 हैक्टयर कायम किया गया है अपीलार्थीगण के द्वारा उपरोक्त वर्णित भूमि को पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 13.07.2020 के द्वारा विधिवत बहुमूल्य प्रतिफल अदा कर क्रय कर उस पर भौतिक काब्जा काश्त विक्रेतागण से प्राप्त कर साधिकार सम्पूर्ण भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है जिसका नामान्तरकरण सख्या 73 दिनांक 21.07.2020 को स्वीकृत कर समस्त राजस्व भू अभिलेखों में उनका नाम बहैसियत खातेदार काश्तकार अंकित किया जा चुका है जिसकी रेस्पोडेन्ट को पूर्ण जानकारी है।

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि ग्राम फूटोलाव स्थित भूमि साबिका खसरा नम्बर 38 रकबा 16 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 117 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नमबर 119 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 120 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 128 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 132 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा कुल कित 6 कुल रकबा 31 बीघा 15 बिस्वा भूमि हनुमान सहाय आदि अन्य लोगो के नाम खातेदारी की भूमि थी जिनमें से खसरा नम्बर 119 व 120 कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा वर्ष 2013 में क्रय था तब से ही वे उक्त भूमि पर निरन्तर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उन्होने कथन किया है वर्तमान सेटलमेन्ट के दौरान उक्त भूमि साबिका खसरा नम्बर 119 व 120 के नवीन खसरा नम्बर क्रमशः 212 रकबा 0.09 हैक्टयर, खसरा नम्बर 213 रकबा 0.82 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 227 रकबा 0.62 हैक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.53 हैक्टयर कायम किये गये, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपरोक्त वर्णित भूमि एवं अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 226 के सम्बन्ध में एक आवेदन अन्तर्गत धारा 131 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत दिनांक 03.07.2020 को प्रस्तुत कर यह अनुतोष चाहा कि उपरोक्त भूमियों को वर्तमान में मौके पर मौजूद कब्जा काश्त एवं गत नक्शे के अनुसार तरमीम कर दुरूस्त करने का आदेश प्रदान किया जावें। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत उक्त आवेदन मे अपीालर्थीगण को पक्षकार संयोजित किये जाने हेतु आवेदन दिनांक 22.07.2020 को प्रसतुत किया गया जिसे दिनांक 04.08.2020 को स्वीकार करने पर संशोधित उनवान भी रेस्पोडेन्ट द्वारा उसी समय प्रस्तुत कर दिया गया किन्तु बावजूद आदेश के ना तो अपीलान्ट को तलब करने हेतु कोई सम्मन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये, ना ही अधीनस्थ न्यायालय ने किसी अन्य विहित प्रक्रिया से अपीलान्ट्स को सूचित किया तथा अपीलान्ट को पक्ष समर्थन एव सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही कतई अवैध एवं विधि विरूद्ध तरीके से एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.04.2021 को पारित कर दिया गया जो आदेश विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन का तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा दिनांक 25.08.2020 को जवाब प्रस्तुत किया गया उक्त जवाब में कुल 8 पैराग्राफ है जिनमें आवेदन के 10 पैराग्राम का उत्तर दिया गया है तथा सम्पूर्ण जवाब में पैरा संख्या डी कही अंकित नही है किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 21.08.2020 में अंकित तथाकथित पैरा संख्या डी के अनुसार नक्शे को दुरूस्त किये जाने की अवैध आज्ञा प्रदान की है जो यह सिद्ध करने के लिये पर्याप्त है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदन में वांछित अनुतोष विधिक के सुस्थापित सिद्धान्तों एवं अपने निहित क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में विचार कर कोई न्यायिक निर्ष्कष अंकित किये बिना ही पटवारी की रिपोर्ट को ही अंतिम सत्य मान कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है

जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों, सामान्य न्याय प्रशासन के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि जागीर अन्मुलन अधिनियम 1952 प्रभाव में आने के पश्चात् बनाये गये राजस्थान कन्सोलीडेशन एण्ड प्रीवेन्शन ऑफ फ्रेगमेन्टशन एक्ट 1954 के तहत जयपुर जिले की विभिन्न तहसीलों में कन्सोलिडेशन की कार्यवाही प्रारम्भ हुई जिसके तहत तहसील जमवारामगढ में भी उक्त अधिनियम के तहत कृषि जोतो का एकीकरण किया गया, उक्त अधिनियम की धारा 35 के विबन्धन की वजह से इस अधिनियम के तहत किये गये एकीकरण को किसी भी न्यायालय के समक्ष चुनौती नही दी जा सकती है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने भी ऐसी कोई चुनौती अपने आवेदन के द्वारा प्रस्तुत नही की किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने एकीकरण के दौरान तैयार किये गये नक्शें का जागीर के समय के नक्शें मे अंकित सीमाओं के अनुसार संशोधित किये जाने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित करने का अवैध आदेश पारित किये है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट संख्या 5 शंकर पुत्र कजोड की ओर से उपस्थित अधिविक्ता श्री रामकरण शर्मा ने दिनांक 22.12.2020 को आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 04.08.2020 की पालना आज दिनांक तक नही की है, अतः आवेदन को न्यायिक आदेशों की अवहेलना के कारण निरस्त फरमाया जावें, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 29.12.2020 को उक्त आवेदन में वर्णित अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की तामील पूर्ण हो जाना तथा उनके तामीलशुदा नोटिस पत्रावली मे संलग्न होना अंकित करते हुए निरस्त फरमा दिया जबकि वास्तविकता में अपीलान्ट को पक्षकार बनाये जाने के पश्चात् ना तो उनकी तलबी हेतु नोटिस प्रस्ततु किये गये, ना ही अन्यथा किसी अन्य विहित प्रक्रिया से ही अपीलान्ट को सूचित किया गया जबकि अपीलान्ट को अप्रार्थी संख्या 7 व 8 के रूप में खसरा नम्बर 226 के क्रेता व वर्तमान राजस्व भू अभिलेखों में अंकित खातेदार होने के कारण पक्षकार बनाया गया था जिनकी उपस्थिति नितान्त आवश्यक होने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने जानबुझकर अपीलान्ट को पक्ष समर्थन एवं सुनवाई का अवसर ना देकर अवैध रूप से अपने निहित स्वार्थ की पूर्ति हेतु तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को अनुचित लाभ पहूँचाने के कुस्ति उद्देश्य से अपीलाधीन आदेश पारित किया जो निरस्त किया जाने योग्य है। अतः अपीला अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ द्वारा पारित अवैध एवं क्षेत्राधिकार विहीन एकपक्षीय निर्णय दिनांक 15.04.2021 को निरस्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 212 रकबा 0.0900 हैक्टयर, खसरा नम्बर 213 रकबा 0.8200

हैक्टयर, खसरा नम्बर 227 रकबा 0.6200 हैक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.5300 हैक्टयर ग्राम फूटोलाव में स्थित है तथा उक्त खातेदारी भूमि से लगते ही प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 8 की पैतृक खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 226 रकबा 0.2700 हैक्टयर स्थित है। उन्होने आगे कथन किया है कि हाल किये गये सेटलमेंन्ट में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की भूमि साबिक खसरा नम्बर 119 के नवीन खसरा नम्बर 212, साबिका खसरा नम्बर 120 मिन के नवीन खसरा नम्बर 213 साबक खसरा नम्बर 120 मिन के नवीन खसरा नम्बर 227 बनाये गये है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 8 के पैतृक खातेदारी भूमि का साबिका खसरा नम्बर 122 के नवीन खसरा नम्बर 226 बनाये गये है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 अपनी खातेदारी भूमि साबिक खसरा नम्बर 119, 120 मिन, 120 मीन के नवीन खसरा नम्बर 212, 213, 227 पर पूर्व नक्शा अनुसार काबिज काश्त है, रेस्पोडेन्ट की उक्त भूमि से लगता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 8 की पैतृक खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 226 का राजस्व नक्शे मे रकबा बढ़ा कर एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की भूमि का रकबा कम कर अंकित कर दिया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नवीन खसरा नम्बर 212, 213, 227 को नवीन नक्शे में वास्तविकता से परे रकबा कम कर राजस्व नक्शे में खिसका कर अंकित कर दर्शाया गया है जो नक्शे में हाल सैटलमेन्ट में खसरा नम्बर 212, 213, 227 का रकबा कम कर रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 8 का खसरा नम्बर 226 का रकबा बढ़ाकर खिसका कर अवैध रूप से अंकित कर दिया गया जो मौका स्थिति एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप नही होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने उक्त दुरूस्ती हेतु तहसीलदार जमवारामगढ़ से दिनांक 26.06.2018 को निवेदन किया जिस पर तहसीलदार ने निर्देश दिये एवं कहा कि यह मामला मेरे क्षेत्राधिकार में नही है उपखण्ड अधिकार न्यायालय में इसके लिऐ प्रार्थना पत्र पेश करन के ही अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का अवसर देते हुए एवं तहसीलदार जमवारामगढ से रिपोर्ट के पश्चात् प्रकरण का परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.04.2021 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस प र मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि दिनांक 12.04.2021 की आदेशिका में रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 4, 5, 6, 8 के नोटिस तामिल होना अंकित किया है किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 8 योगेश का तलबी नोटिस पत्रावली के संलग्न नही है जिससे जाहिर होता है कि अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.04.2021 पारित किया गया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने

से विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ, जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.04.2021 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ, जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।